संख्याः3/2021/196/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभागः **लखनऊः दिनांकः 04 मार्च, 2021**

विषयः-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रशिक्षण केन्द्रों के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-210/यूपीनेडा-आरटीसी/एसएण्डडी/2020-21, दिनांक 11 जनवरी 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में ऊर्जा विकास अभिकरण, उ0प्र0 को अनुदान संख्या-70 में राज्य योजना के अन्तर्गत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रशिक्षण केन्द्रों का आधुनिकीकरण/नवीनीकरण हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 250.00 लाख (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) में से रू 100.00 लाख (रू एक करोड़ मात्र) की धनराशि को स्वीकृत कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है :-

1- स्वीकृत धनराशि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताए पूर्ण करते हुए व्यय की जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोग के लिये नहीं किया जायेगा। योजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।

3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व निदेशक, यूपीनेडा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कर लेंगे।

5- कार्यस्थल पर इससे संबंधित उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिलापट्ट/बोर्ड के रूप में जन साधारण की जानकारी के लिये प्रदर्शित किये जायेंगे।

6- प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त कार्यो की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। इसके लिए कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी करायी जाय।

7- प्रस्तावित कार्य हेतु सामग्री का क्रय स्टोर परचेस रूल, वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं अन्य प्रचलित शासनादेशों/नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

8- स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व योजनाओं/ परियोजनाओं के लक्ष्य के प्रस्तावों/आंगणनों के परीक्षण एवं मूल्यांकन संबंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2015/बी-2-2973/दस-2015-10/77, दिनांक 19.10.2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

10- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2021 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

11- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

12- उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित/व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा समय-समय पर जारी संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

13- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अधीन लेखा शीर्षक-"2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-02-सौर-101-सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम-05-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रशिक्षण केन्द्रों का आधुनिकीकरण/नवीनीकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-43/दस-2021, दिनांक 02-03-2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव ।

संख्या एवं दिनांकः तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) कोषाधिकारी, लखनऊ।

(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10

(4) राज्य योजना आयोग-1

(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0, प्रयागराज।

(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in